



आर. ई. ओ. 44

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1785 दिनांक 21.12.02


आदेश

विषय :-निगम में सामान्य श्रेणी के राज्य के अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के 11 के.वी. के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने पर कनेक्शन जारी करने के संबंध में ।

पूर्व में निगम के आदेश संख्या 1478 दिनांक 24.10.2002 (आर.ई.ओ 40) के द्वारा वर्ष 2002-03 तक कट-आफ-डेट में आने वाले साधारण श्रेणी के आवेदकों को अकाल की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये 11 के.वी. के वी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होने पर भी मांग पत्र जारी कर कनेक्शन जारी करने के निर्देश जारी किये गये थे ।

अब सामान्य समिति की 49 वी बैठक दिनांक 30.11.2002 में निर्णय लिया गया है कि राज्य में सामान्य श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के भी 11 के.वी के वीआर 8 प्रतिशत से अधिक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जावे ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।


(एच०एस०देवडा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर